न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1126–एक/2011 विरूध्द आदेश दिनांक 05–07–11 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर, म0प्र0 प्रकरण कमांक 396/अ–68/09–10 अपील.

रघुवीरसिंह राजपुत पुत्र रतनसिंह,
निवासी ढगरानिया, तह0 राहतगढ़,
जिला सागर, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

म0प्र0 शासन व्दारा राजस्व निरीक्षक,
ढगरानिया तह0 राहतगढ़,जिला सागर

—— अनावेदक

श्री मुन्नालाल जडिया, अभिभाषक – आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 26.6.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर, म0प्र0 के अपील प्रकरण कमांक 396/अ–68/09–10 में पारित आदेश दिनांक 05–07–11 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी ढगरानिया के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार ने संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 14–8–76 व्दारा आवेदक को शासकीय भूमि से बेदखल कर अर्थदण्ड आरोपित किया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपीलें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक कमशः 31–1–77 एवं 04–07–78 व्दारा खारिज की। राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल ने निगरानी प्र0क0 165–पॉच/78 मे पारित आदेश दिनांक 18–2–80 में यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर लम्बी अवधि से आधिपत्य है और उसे पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया। अतः राजस्व मण्डल व्दारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण विधिवत निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया।

3/ तहसील न्यायालय ने प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की और अपने आदेश दिनांक 22–03–2010 व्दारा रू. 1500/– अर्थदण्ड आरोपित करते हुए अतिकमण हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14–5–10 सहपठित आदेश दिनांक 9–7–10 व्दारा खारिज की गयी। व्दितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05–07–11 व्दारा खारिज की है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैंने आवेदक के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा दमाली आवेदक को 17–7–1950 में प्राप्त हुआ। उनका तर्क है कि तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को पक्ष समर्थन

कोई विवेचना तहसीलदार ने अपने आदेश में नहीं की है। अपीलीय न्यायालयों व्दारा आदेश पारित करते समय ना तो तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं का ही विधिवत परीक्षण किया और आवेदक की आपत्ति पर ही सहानुभूतिपूर्वक विचार कर पट्टे के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 05–07–11 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करें तथा शासन की ओर से भी साक्ष्य लिपिबध्द करने के पश्चात प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0